PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Business Bhaskar, Faridabad
Wednesday 29th January 2014, Page: 10
Width: 8.43 cms, Height: 14.38 cms, a4, Ref: pmin.2014-01-29.50.90

पेटेंट दवाओं के दामों पर सक्रिय हुआ केंद्र

बिजनेस भास्कर ▶ **नई दिल्ली...**

महंगी पेटेंटेड दवाओं तक आम आदमी की पहुंच को लेकर लंबे समय से आलोचना का सामना कर रही केंद्र सरकार अब इन दवाओं की कीमतों पर अंकुश के लिए सक्रिय हो गई है। पेटेंटेड दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने के मसले पर गठित किया गया संयुक्त सचिवों का अंतर मंत्रालय पैनल 4 फरवरी को इस मसले पर पहली बैठक करेगा। पैनल विकसित देशों में पेटेंटेड दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे तौर-तरीकों के आधार पर कोई फॉर्मूला तैयार करने के लिए विचार-विमर्श करेगा।

सूत्रों के मुताबिक, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल पेटेंटेड दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए एक सरकारी पैनल द्वारा सुझाए गए मोलभाव वाले फॉर्मूले को खारिज कर चुका है। लेकिन संयुक्त सचिवों का पैनल इसके लिए कोई भी फॉर्मूला तैयार करने के लिए उसी पैनल की सिफारिशों को आधार बना सकता है। पैनल भारत की प्रति व्यक्ति खरीद क्षमता के आधार पर पेटेंटेड दवाओं की एक रेफरेंस प्राइस तय कर सकता है। रेफरेंस प्राइस वह अधिकतम कीमत होगी जिससे अधिक दाम पर कोई भी पेटेंटेड दवाओं की बिक्री नहीं कर सकेगा। पैनल को वाणिज्य मंत्रालय की उस चिंता का भी ध्यान रखना होगा जिसमे कहा गया है कि पेटेंटेड दवाओं की कीमतें कम कराने का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे कि कंपलसरी लाइसेंसिंग के प्रावधान पर असर न पड़े। सरकार कई बार पेटेंटेड दवाओं की ऊंची कीमतों को कंपलसरी लाइसेंसिंग जारी करने का आधार बना चुकी है।

भारत की प्रति व्यक्ति खरीद क्षमता के आधार पर पेटेंटेड दवाओं की एक रेफरेंस प्राइस तय कर सकता है पैनल